

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.407
दिनांक 23 मार्च, 2020

जैव ईंधन नीति, 2018

407. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शंदे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष, 2018 में नई जैव ईंधन नीति लागू की है;
- (ख) जैव ईंधन बनाने की नीति को आगे बढ़ाते हुये प्राप्त आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें जैव ईंधन के प्रकार को वर्गीकृत किया गया है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा जैव ईंधन नीति, 2018 में यथावर्णित इथेनॉल मश्रत पेट्रोल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) जैव ईंधन नीति, 2018 का कार्यान्वयन करने हेतु आवंटित बजट तथा इस संबंध में अब तक व्यय की गई राश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या इस नीति के अंतर्गत नियम बनाये गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा नियमों का प्रारूप तैयार करने का कार्य वर्तमान में कस चरण पर है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ङ.): एक ववरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“जैव ईंधन नीति, 2018” के संबंध में संसद सदस्य डॉ. श्रीकांत एकनाथ शंदे और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा पूछे गए दिनांक 23 मार्च, 2020 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 407 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित ववरण।

(क) से (ग) सरकार ने 04 जून, 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को अधिसूचित किया है। इस नीति में वर्ष 2030 तक पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मश्रण तथा डीजल में 5% जैव डीजल का मश्रण करने का निर्देशात्मक लक्ष्य हासिल करने की परिकल्पना की गई है।

सरकार आयात निर्भरता में कमी करने, रोजगार का सृजन करने, किसानों को बेहतर पारिश्रमक प्रदान करने और बेहतर अपशष्ट प्रबंधन पद्धतियों आदि के व्यापक उद्देश्यों से जैव ईंधन कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है।

एथेनॉल मश्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की अधप्राप्ति एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) (01 दिसम्बर से 30 नवम्बर) 2013-14 के दौरान 38 करोड़ लीटर से लगभग पांच गुना बढ़कर ईएसवाई 2018-19 के दौरान 188.6 करोड़ लीटर हो गई है। मश्रण के लिए एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्न लखत शामिल हैं:-

- (i) गन्ना रस और चीनी/खिनी सीरप से एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- (ii) व भन्न प्रकार के फीड स्टॉक से उत्पादित एथेनॉल का मल तक का लाभकारी मूल्य निर्धारित करना।
- (iii) आसवनियों को ब्याज इमदाद प्रदान करना।
- (iv) एथेनॉल मश्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए वकृत एथेनॉल की स्वतंत्र रूप से आवाजाही के लिए उद्योग (वकास और वनियमन) अधनियम, 1951 में संशोधन।
- (v) ईबीपी कार्यक्रम के लिए निर्धारित एथेनॉल पर माल और सेवा कर को 18% से घटाकर 5% करना।
- (vi) दिनांक 01.04.2019 से अंडमान निकोबार तथा लक्षदीप के संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में ईबीपी कार्यक्रम लागू करना।
- (vii) तेल वपणन कंपनियों के स्थलों पर एथेनॉल के भंडारण को बढ़ाना।
- (viii) “एथेनॉल मश्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत दीर्घकालक आधार पर एथेनॉल अधप्राप्ति नीति” तैयार करना।

ईएसवाई 2019-20 में, दिनांक 09.03.2020 तक, तेल वपणन कंपनियों (ओएमीसज) ने 156.47 करोड़ लीटर एथेनॉल की अधप्राप्ति के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी कए हैं।

सरकार ने एथेनॉल की आपूर्ति को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रो रसायन रूट सहित सेल्यूलोसक तथा लग्नोसैल्यूलोसक सामग्रियों जैसे अन्य गैर खाद्य फीड स्टॉक से उत्पादित दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल की अधप्राप्ति करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, तेल पीएसयूज ने देश के 11 राज्यों में बारह 2जी एथेनॉल जैव रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना बनाई है।

जैव डीजल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैव डीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) की पहचान भावी कच्चे माल के रूप में की गई है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने 200 स्थलों पर प्रयुक्त खाद्य तेल से उत्पादित जैव डीजल की अधप्राप्ति के लिए रूच की अभ्यक्ति (इओआई) आमंत्रित की है। प्रयुक्त खाद्य तेल से जैव डीजल का उत्पादन करने के उद्देश्य से 46 संयंत्रों की स्थापना करने के लिए ओएमसीज को 29 ईओआई प्राप्त हुई हैं।

ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, दिनांक 01.10.2018 को कफायती परिवहन के लिए दीर्घकालक वकल्प (सतत) पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ओएमसीज सीबीजी उत्पादन के लिए संभावित उद्यमियों से रूच की अभ्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित कर रही हैं। सतत पहल में वर्ष 2023 तक प्रति वर्ष 15 एमएमटी सीबीजी के अनुमानित उत्पादन के साथ पूरे देश में 5000 सीबीजी संयंत्रों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। दिनांक 15.03.2020 तक, तेल पीएसयूज ने मंगाई गई रूच की अभ्यक्तियों के प्रत्युत्तर में 493 सीबीजी संयंत्रों को स्थापित करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किए हैं।

(घ): लग्नोसैल्यूलोसक बायोमास तथा अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करते हुए देश में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मार्च, 2019 में “प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना” अधसूचन की है। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 1969.50 करोड़ रुपये है।

(ड.): जैव ईंधन नीति व्यापक तौर पर कार्यनीति और दृष्टिकोण सहित जैव ईंधन कार्यक्रम, इससे जुड़े उपायों और सहायक व्यवस्था, पणधारकों की भूमिका, संस्थागत व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आदि के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है। इस स्तर पर, नियम तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
